5

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या: 781/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00570)

01. श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री स्व. रघुनाथ **(फौत)**

1/1. रामप्यारी देवी माता स्व. प्रभाती देवी पत्नी नारायण मेहता, जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मोरिजा तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/2. धापा देवी माता स्व. प्रभाती देवी पत्नी छीतरमल जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी ग्राम भानपुरकलां तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

1/3. सीताराम माता स्व. प्रभाती देवी पिता रामसहाय **(फौत)**

1/3/1. लालचन्द पुत्र स्व. सीताराम, जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

1/4. रामपाल माता स्व. प्रभाती देवी पिता रामसहाय जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/5. रामगोपाल माता स्व. प्रभाती देवी पिता रामसहाय जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/6. कैलाश माता स्व. प्रभातीदेवी पिता रामसहाय जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. भोलाराम पुत्र गणपत जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. नाथूलाल पुत्र गणपत, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र गणपत, जाति बागडा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जपयुर।
5. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. नायब तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

— रेस्पोन्डेन्ट्स

7. बिरदा पुत्र प्रभात, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. काना पुत्र प्रभात, जाति बागडा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. जगदीश पुत्र प्रभात, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. नाथीदेवी पत्नी स्व. सीताराम, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. राजूदेवी पुत्री स्व. सीताराम, पत्नी दीपचद शर्मा जाति बागडा ब्राहाम्ण निवास टण्डू बाबा की ढाणी मीनावाला झौटवाडा, जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)
निर्णय

दिनांकः 24.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 11.03.2020 के से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण की माता स्व. प्रभाती देवी पुत्र स्व. रघुनाथ द्वारा ग्राम बढारणा, तहसील आमेर स्थित भूमि बाबत स्वीकृत नामानतरकरण संख्या 56 दिनांक 21.05.1981 के विरूद्ध अपील पेश कर कथन किया है कि वाके ग्राम बढारणा तहसील आमेर में अपीलार्थीगण के पिता रघुनाथ पुत्र ईसर, जाति बागडा ब्राहाम्ण की खातेदारी की भूमि पूराना खाता संख्या 22 में कुल किता 11 कुल किता रकबा 22 बीघा 9, पुराना खाता संख्या 23 में कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 24 में कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, पुराना खाता संख्या 25 कुल किता 28 रकबा 28 बीघा 7 बिस्वा, पुराना खाता संख्या 72 कुल कता 3 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा स्थित आराजीयात अपीलार्थी के पिता के नाम खातेदारी उसे हिस्से अनुसार तहरीर व तकमील थी जो कि अपीलार्थी के पिता को जरिये नामान्तरकरण संख्या 72 से प्राप्त हुई थी, इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात अपीलार्थीगण के पिता की कब्जे काश्तशुदा आराजीयात थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया के पिता रघुनाथ पुत्र ईसर के कब्जे काश्त की आराजीयात पर अपीलार्थीया अपने पिता के जीवनकाल से काबिज काश्त रही है, अपीलार्थीया की माताजी का स्वर्गवास उसके पिता के स्वर्गवास से पूर्व ही हो चुका था, अपीलार्थीया व उसके पिता उपरोक्त मुतदाविया आराजीयात पर काबिज काश्त रहे तथा वर्ष 1981 मे अपीलार्थीया के पिता स्च. रघुनाथ पुत्र ईसर का स्वर्गवास हो जाने के बाद अपीलार्थी ही उकत आराजीयात की प्रथम श्रेणी की जाईन्दा पुत्री होने के कारण वारिस थी लेकिन नायब तहसीलदार आमेर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 21.05.1981 को अपीलार्थीया के पक्ष में तस्दीक न कर स्व. रघुनाथ के भाई गणपत के नाम पि. मु0 मानते हुये अवैध रूप से तस्दीक किया गया जबकि रघुनाथ की जाईन्दा पुत्री जीवित थी, इसलिये उक्त नामान्तरकरण उसकी पुत्री के नाम तस्दीक होना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ नायब तहसीलदार ने अपीलार्थीया को बिना साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही एकतरफा मे तस्दीक किया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त एकतरफा में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं देरी को माफी दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बिन्दु पर कोई विवाद नही

संभागीय आयुक्त
जयपुर

PTO

रहा है कि मृतक रघुनाथ की पुत्री प्रभाती है जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ट संख्या 5 में अंकित किया है कि दोनों पक्षों से "यह स्वीकारर्यता है कि स्व. प्रभाती स्व.रघुनाथ की पुत्री है उक्त के अलावा यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. श्री गणपत को रघुनाथ ने गोद नही लिया तथा ना ही गोद के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार आमेर ने किसी प्रकार की जॉच ही की, केवल मात्र प्राकृतिक उत्तराधिकारी स्व. प्रभाती को अपने अधिकारों से महरूम रखने के उद्देश्य से गलत रूप से स्व. गणपत को दत्तक पुत्र दर्शाते हुए विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत नामान्तरकरण को यथावत रखने में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधनों के विपरित निर्णय पारित किया है इसलिये प्रश्नाधीन निर्णय एवं नामान्तरकरण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने प्रश्नाधीन नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर स्वीकृत होना बताया है जबकि प्रश्नाधीन नामान्तरगण पगड़ी दस्तुर के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है इस प्रकार प्रश्नाधीन नामान्तरकरण एवं रेस्पोडेन्ट के कथन से स्पष्टतया विरोधाभाष है, रेस्पोडेन्ट ने नायब तहसीलदार के समक्ष ना तो गोदनामा प्रस्तुत किया और ना ही वसीयत पेश की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विरोधाभाषी कथनों पर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर अपील को स्वीकार योग्य नही माना है, कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद तथा समरी प्रोसेडिंग्स के प्रकरण का विचारण अलग–अलग रिति से किया जाता है वाद का विचारण वाद पेश होने पर प्रतिवादी से जवाबदावा लिये जाने के पश्चात् तनकीयात निर्मित की जाकर उक्त निर्मित तनकीयों का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की व्याख्या करते हुए निर्णय पारित किया जाता है जबकि समरी प्रोसिडिंग विरासती नामान्तरकरण में किसी कृषक की मृत्यु होने पर उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को विरासत उनकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अतः समरी प्रोसीडिंग की विषयवस्तु प्रत्यक्षतः एवं वाद सम्बन्धित सारभूत विषय भी भिन्न है, इससिले वाद विचाराधीन होना मात्र से मृतक के प्राकृतिक वारिसान को छोड़कर अनाधिकृत, अप्राधिकृति किसी तृतीय व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत विधि विरूद्ध नामान्तरकरण को यथावत रखना किसी भी अवस्था में न्यायोचित नही है इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं नामान्तरकरण निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के रोकथाम एवं संक्रमण से बचने के लिऐ देशहित व लोकहित में सम्पूर्ण भारत एवं राजस्थान राज्य में किये जाने वाले प्रयासों के तहत किये गये लॉकडाउन होने से बार एसोसियेशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित किये जाने के दिनांक 02.07.2020 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा देरी को क्षमा करने के लिये प्राथ्रना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2020 को निरस्त फरमायाजावें एवं नामानतरकरण संख्या 56 दिनांक 25.05.1981 को निरस्त किये जोने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी प्रभाती का वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है, अपीलार्थी या प्रभाती की शादी का सम्पूर्ण खर्चा व सामाजिक रस्म इत्यादि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता ने ही की थी उसके पश्चात् आज तक किसी भी प्रकार को कोई धार्मिक सामाजिक शादी आदि कार्यक्रम के आयोजन में रेस्पोडेन्ट की ओर से सम्पूर्ण रस्म अदायगी रिति–रिवाज के अनुसार करते आ रहे है तथा अपीलार्थीया प्रभाती के पिता रघुनाथ की मृत्यु का सम्पूर्ण क्रियाक्रम भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता गणपत ने ही किया था व गणपत जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का पिता है के ही पगड़ी का दस्तुर हुआ था जो अपीलार्थीया की पूर्ण जानकारी व सहमति से हुआ था। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण राजस्व कैम्प अखैपुरा में अपीलार्थीया प्रभाती की मौजूदगी में अजमेआम में खोला गया था जो उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपनी अपील के पैरा संख्या 2 में अभिलिखित किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीया का यह कहना कि नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 21. 05.1981 की जानकारी नही थी, बदनियति पूर्ण असत्य व अस्वीकार है। उन्होने यह भी कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण की अपीलार्थीया प्रभाती को प्रारम्भ से ही जानकारी थी पूर्व में उक्त आराजी बाबत नामान्तरकरण मजमेआम में व राजस्व कैम्प में खेला गया था तथा रघुनाथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता गणपत का बड़ा भाई होने के कारण पूर्व में विवादित आराजीयात अकेले के नाम दर्ज रही थी, रघुनाथ व गणपत के परिवार एक साथ ही रहते थे, रेस्पोडेन्ट का पिता गणपत कृषि कार्य करता था तथा अपीलार्थी का पिता बडा होने व कर्ता खानदान था व गॉव का पटेल था जिस कारण से सम्पूर्ण भूमि उसी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है व उसके मरने के पश्चात् उत्तरदाता रेस्पोडेन्ट के पिता व उसके पश्चात् उनके पुत्रों के हक में नामान्तरकरण खोला गया है, प्रश्नगत नामान्तरकरण किसी भी कारण व आधार पर अवैध रूप से पारित किया हुआ नही है और न ही प्रारम्भ्स से ही शून्य है बल्कि पूर्णतः विधिक रूप से व मजमेआम में खोला गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि पूर्व में भी अन्य वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर उनवान प्रभात बनाम गणपत, प्रभाती आदि बाबत घोषणा स्थाई निषेधज्ञा व तकासमा का विचाराधीन रहा है जिसमें स्वयं अपीलार्थीया प्रभाती ने दिनांक 25.10.1988 को जवाब दावा प्रस्तुत किया है उक्त वाद में वादग्रस्त आराजीयात जो प्रश्नगत अपील में भी उल्लेखित है जिसमें स्वयं अपीलार्थीया ने यह स्वीकर किया है कि रूघनाथ का वारिस गणपत है तथा अपीलार्थीया रघुनाथ की खातेदारी गणपत के होने का प्रारम्भ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

से पूर्ण ज्ञान है। उन्होने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक अधिकार तय नही किये जा सकते इसके लिये तो उन्हे समक्ष न्यायालय में नियमित वाद दायर करके ही अपने अधिकार तय करवाये जा सकते हे। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीया प्रभाती द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 21.05.1981 के विरूद्ध लगभग 30 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जबकि विवादित उक्त नामान्तरकरण संख्या के बाद विवादित आराजीयात का अनेक बार बेचान भी हो चुका है जिससे अन्य कई हितबद्ध पक्षकार हो चुके है जो अधीनस्थ न्यायालय और न्यायालय हाजा के समक्ष पक्षकार नही है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के हक, अधिकार तय नही हो सकते और अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही नियमित दावा पेश कर रखा है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का अंतिम विनिश्चयन होगा। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2020 में कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।